

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मोश का खेडा व भू अभिलेख निरीक्षक नान्नाठ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तमाडिया पटवार हल्का मोश का खेडा तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् में खाता संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	तमाडिया	152	आ०नं. 817/3, 818/3, 779/3, 800/3 की दरमीम शुद्ध करने हेतु	आ०नं. 817/3, 818/3, 779/3, 800/3 कुल खिगु 04, को मोके व कर्जे अनुसार दरमीम शुद्ध कर आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर करेड़ा
दिनांक:- 11/11/2022

क्रमांक:- न्यायालय / 2022 / 290

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा